

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-5 / 1215 / 2023 / 10-11 / 1576

भोपाल, दिनांक 27-5-25

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPR 011/2023-BHO/I/90484 दिनांक 18.12.2024.

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt to provide a copy of the necessary approval taken under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 for the above project.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/121709/2021 से ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जो MoEFCC(WL) के स्तर पर स्वीकृति लंबित है।
2	In the DSS analysis Khasra No. 80, 94/2, 72/2 proposed for raising compensatory afforestation appears to be falling inside the forest boundary of Panna Tiger Reserve. The DFO shall review the above Khasra(s) and provide a certificate to the effect that the above Khasra (s) are in Revenue land.	भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.12.2024 के अनुसार NHA के प्रकरणों में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण योजना मान्य की गई है, तदनुसार प्रकरण में पूर्व में कक्ष क्रमांक पी-480 रकबा 70.00 हेक्टेयर ऑनलाईन पोर्टल में KML file, जियो मेप, वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना आदि पोर्टल में अपलोड किया गया है।
3	It also needs to be ensured that the area proposed for CA is not under category of "Chhote Bade Thand ka jungle (Revenue Forest land).	बिन्दु क्रमांक 2 के तारतम्य में आवश्यक नहीं है।
4	The User Agency and the State Government shall upload the necessary corrections ie. 44.05 to the web portal.	आवेदक संस्थान द्वारा निर्देशानुसार KML file पोर्टल में अपलोड किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


25.05.25

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1577
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27.5.25

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


25.05.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120
E-mail: fdppnp.pna@mp.gov.in Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve



पन्ना टाइगर रिजर्व

क्रमांक/तकनीकी/2025/1076
प्रति,

पन्ना, दिनांक-14/5/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(मू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :-

पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्।
(FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :-

- 1.कार्यालयीन पत्र क्र./तकनीकी/2025/836 दिनांक 22.04.2025
- 2.आपका पत्र क्र./एफ-5/1215/2023/10-11/1324 दिनांक 29.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से योजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले गैर वनभूमि अथवा दुगने बिगडे वनक्षेत्र पर वृक्षारोपण योजना प्रेषित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था।

आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देशों के संदर्भ में योजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले पूर्व में वनकक्ष क्र. पी-480 रकवा 70.00 हेक्टेयर क्षेत्र की प्रेषित की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना पुनः ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

(अंजना सुचिता तिकी)

क्षेत्र संचालक,

पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

पन्ना, दिनांक 14/5/2025

पृ0क्र0/तकनीकी/2025/1077

प्रतिलिपि:- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सागर संभाग सागर म0प्र0 की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।

क्षेत्र संचालक,

पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर म.प्र.
 दूरभाष 07582-222206 E-mail eepwdnhsagar768@gmail.com
 ज्ञाप क0/ 116 /च.ले.लि. /2024-25 सागर दिनांक 18/01/25
 प्रति,

क्षेत्र संचालक

पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना

विषय-

पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43-गुलमर्ग-अमानगंज-पर्व-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.00 हे०) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने का वरत। (SP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. एफ-5/1215/2023/10-11/105 भोपाल दिनांक 08.01.2025
2. अनुविभागीय अधिकारी लोन्गिरास उपसंभाग उत्तरपुर का पत्र क्र. 23/तक/2024-25 उत्तरपुर दिनांक 10.01.2025

उपरोक्त विषयसम्बन्धित लेख है कि गुलमर्ग-अमानगंज-पर्व-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक-5 जि०मी० 43+00 से 77+00 बचना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु राजसे नियुक्त हो गई है, एवं कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के संपर्कित पत्र सैदाहिक स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निम्न बिंदुओं का प्रतिवेदन चाहा गया है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र०	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt. to provide a copy of the necessary approval taken under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 for the above project.	Approval of wildlife permission is still awaited NBWL New Delhi. The order will be attached as soon as the permission is received.
2	In the DSS analysis Khassra No. 80, 94/2, 72/2 proposed for raising compensatory afforestation appears to be falling inside the forest boundary of Panna Tiger Reserve. The DFO shall review the above Khassra(S) and provide a certificate to the effect that the above Khassra (S) are in Revenue land.	According to Collector Chhatrapur letter no. 0042/A 20(1)/Naru/2024-25 dated 28.08.2024, Khassra No. 80, 94 and 72 revenue land has been mentioned. The same is clearly mentioned by Deputy Director Panna Tiger Reserve vide letter no. Technical/2024/17/9 Panna dated 24.07.2024, the said Khassra allotted to the Forest Department is as non-forest land.
3	It also needs to be ensured that the area proposed for CA is not under category of "Chhole Bada Jhaad ka jungle (Revenue Forest land)	According to Collector Chhatrapur letter no. 0042/A 20(1)/Naru/2024-25 dated 28.08.2024 it is not mentioned that the allotted land is under category of "Chhole Bada Jhaad ka jungle". Hence, the said land is not "Chhole Bada Jhaad ka jungle".

अतः अनुरोध है कि उपरानुसार वन भूमि/वनक्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार

मृ. क०/ 116 /च.ले.लि. /2024-25
 प्रतिनिधि:-

1. प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनायें सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा शरिखेत्र निर्माण भवन द्वितीय तल अदर्रा हिल्स भोपाल की ओर सूचनायें सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी MORT&H निमण भवन द्वितीय तल अदर्रा हिल्स भोपाल की ओर सूचनायें सम्प्रेषित।

सहपत्र- शून्य

सागर दिनांक

(प्रकाश व्यास)

कार्यपालन यंत्री

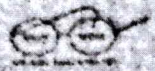
लोन्गिरास संभाग सागर

कार्यपालन यंत्री

लोन्गिरास संभाग सागर



कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग
(पुरानी तहसीली के पास) संभाग सागर (म.प्र.)



पत्र क्रमांक /
प्रति,

564 / व.ले.लि. / 2024-25

email: eepwdnhsagar768@gmail.com

सागर, दिनांक 28/2/2025

विषय-

उपसंचालक

पन्ना हाईवेर रिजर्व पन्ना (म.प्र.)

पन्ना जिले में पन्ना हाईवेर रिजर्व के बफर जोन में गूजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 (निसाना) पुलमज-अमानगढ़-पावई-काली मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण हेतु 31.82 हेक्टर पर भूमि (जीएमएफए) अधिनियम 31/80 हेतु लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर को उपयोग पर लेने बामा 1 (TPMP/ROAL/21/09/2021)

सन्दर्भ-

- 1-उपसंचालक पन्ना हाईवेर रिजर्व पन्ना का पत्र क्र. /सं. / 2025 / 356 पन्ना दि.14.02.2025
- 2-इस कार्यालय का पत्र क्र. 116 / व.ले.लि. / 2024-25 सागर दिनांक 18.01.2025
- 3-अनुसंधान निविदा उपसंचालक अतरपुर का पत्र क्र.124 / सं. / 2025 दिनांक 25.02.2025
- 4-कं.एण्ड.जे. प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. भोपाल का पत्र क्र. K & J/SHIPWD/DPR Plg-V/LA & Forest /405 दिनांक 11.02.2025

उपरोक्त विषयसम्बन्धित पत्र क्र. 2 का ह्रास पूर्व में पाठ्य एवं 03 दिनुओं का पालन प्रतिवेदन आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है एवं सदभित पर क्रमांक 01 में ह्रास पाठ्य एवं दिनु क्रमांक-04 का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

Point No.	EDS	UA Reply
4	The User Agency and the State Government shall upload the necessary corrections i.e. 44.05 to the web portal.	User agency is unable to upload required correction i.e. 44.05 on the Parivesh portal as the proposal was uploaded on Parivesh portal 1.0 but now has been migrated to Parivesh portal 2.0

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र पर ध्यान देकर आवश्यक सुधारों की आवश्यक प्रदान करने का कष्ट करें ताकि कार्य समय-समय में पूर्ण हो सके।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र-

उपरोक्तानुसार

(प्रतिकृत व्यस)

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि.रा.सं.भाग सागर

सागर, दिनांक 2025

पृष्ठ

/ व.ले.लि. / 2024-25

प्रतिलिपि-

- 1- प्रधान मुख्य सचिव (म-प्र) वन भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनाएं सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग परिक्षेत्र निर्माण एवं द्वितीय एवं प्लॉट नं. 27-28 अररा हिल्स भोपाल की ओर सूचनाएं सम्प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 'परिवेश भवन' द्वितीय एवं प्लॉट नं. 27-28 अररा हिल्स भोपाल की ओर सूचनाएं सम्प्रेषित।
- 4- कं.एण्ड.जे. प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. भोपाल आगिल भोपाल की ओर प्रेषित एवं तब है कि सदभित आवश्यक दस्तावेज वेब पोर्टल पर अपलोड कर सुचित करें।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग संभाग परिसर अतरपुर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1458

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि.रा.सं.भाग सागर